28 सितंबर, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट (अनुपूरक कार्यवृत्त)

मद सं. 1: 21 सितंबर, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक से आस्थगित किए गए प्रस्ताव

(i) मौजूदा एसईजेड से संबंधित परिवर्धन/आशोधन

1. बहु उत्पाद तथा आकस्मिकता में छूट के लिए एसईजेड के रूप में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट जोन रिलायंस, जामनगर के रूपांतरण हेतु अनुमोदन

यह नोट किया गया कि मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 440.08 हेक्टेयर के क्षेत्रमें एसईजेड की स्थापना करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा उसे दिनांक 19.04.2006 को एसईजेड के रूप में अधिसूचित किया गया था। बोर्ड ने दिनांक 17 मार्च, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में डेवलपर द्वारा 1000 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण करने के पश्चात डेवलपर को क्षेत्र-विशिष्ट एसईजेड का विस्तार करने का भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था।

यह सूचित किया गया कि मैसर्स आरआईएफएल के पास अब 784 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि है तथा उसने बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन मांगा था। तथापि, चूंकि रास्ता 2 रेल लाइनों से मिलकर बना था तथा उक्त क्षेत्र पर बनी दो सड़कें उसके अधिकार क्षेत्र में थी इसलिए डेवलपर ने आकस्मिकता में सैद्धांतिक तौर पर छूट की मांग की थी जिसके लिए वे बोर्ड की संतुष्टि हेतु अपेक्षित व्यवस्थाएं करने पर सहमत हो गए थे।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया कि क्या बोर्ड एसईजेड नियम 5.2 (क) - तीसरे प्रावधान के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि जो इस बैठक में उपस्थित थे, उन्होंने यह अनुरोध किया कि उन्हें मिसिल के माध्यम से भेज देना चाहिए तथा उनके द्वारा अनुमोदन बोर्ड की आगामी बैठक तक इस संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार इस मामले को विधि मंत्रालय को उनकी राय प्राप्त करने हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

2. ''ऑटो, एरोस्पेस तथा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग" क्षेत्र को "सटीक अभियांत्रिकी उत्पादों के निर्माण" में परिवर्तित करने संबंधी मैसर्स क्वेस्ट मशिनिंग ऐंड मेनूफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स क्वेस्ट मशिनिंग ऐंड मेनूफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड ऑटो, एरोस्पेस तथा औद्योगिक अभियांत्रिक के बजाय सटीक अभियांत्रिकी उत्पादों के निर्माण के लिए है जिसके उन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा क्षेत्र के परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

3. क्षेत्र को स्टेनलेस स्टील अभियांत्रिकी उत्पादों से अभियांत्रिकी उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु मैसर्स विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध

बोर्ड ने अभियांत्रिकी उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हेतु स्टेनलेस स्टील अभियांत्रिकी उत्पादों की स्थापना के लिए मैसर्स मिराज प्रोफाइल्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया जैसा कि उनकी जांच सूची में इंगित किया गया था तथा उक्त क्षेत्र में परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया।

4. सेन्द्रे, महाराष्ट्र में स्थापित एसईजेड के क्षेत्र तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन हेतु एमआईडीसी से प्राप्त अनुरोध

बोर्ड ने सेन्द्रे, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में स्थापित ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एसईजेड की स्थापना करने हेतु उन्हें प्रदान किए गए अनुमोदन में आशोधन करते हुए उसे 210 हेक्टेयर से 118.13 हेक्टेयर करने हेतु तथा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र को एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग में परिवर्तित करने के लिए एमआईडीसी के अनुरोधों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।

5. एमआईडीसी द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में वस्त्र क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव

बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में वस्त्र क्षेत्र के लिए स्थापित किए जाने वाले एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने हेतु एमआईडीसी के अनुरोध पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया जिसके लिए 383 हेक्टेयर से 147.04 हेक्टेयर तक का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

II. दिनांक 08.08.2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक में आस्थगित किए गए प्रस्ताव

1. डीएलएफ आकृति इन्फो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के संबंध में प्राधिकृत कार्यकलाप

राज्य सरकार के आदेश पर बोर्ड ने डेवलपर द्वारा प्रार्थित प्राधिकृत कार्यकलापों पर निर्णय को आस्थगित कर दिया।

III. मिसिल पर लिए गए निर्णय

28 सितंबर, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट (अनुपूरक कार्यवृत्त)

1. मैसर्स ईस्सर हजीरा एसईजेड (डेवलपर लिमिटेड) द्वारा हजीरा, गुजरात में अभियांत्रिकी उत्पादों केलिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में प्राधिकृत प्रचालन

मैसर्स ईस्सर हजीरा एसईजेड (डेवलपर लिमिटेड) के प्राधिकृत कार्यकलापों के अनुमोदन संबंधी अनुरोध, जिसे मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया था, को अनुसमर्थन हेतु अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने मिसिल पर प्रदान किए गए अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।

2. मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड द्वारा जवाहरातों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में प्राधिकृत प्राचलन

''प्रक्रमण क्षेत्र'' नामक शीर्ष के अंतर्गत प्राधकिकृत कार्यकलापों के अनुमोदन के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध, जिसे मामले की तात्कालिकता के कारण मिसिल पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, को अनुसमर्थन हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने मिसिल पर प्रदान किए गए अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।

''गैर-प्रक्रमण क्षेत्र'' के अंतर्गत प्राधिकृत प्रचालनों संबंधी अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया तथा उसपर अधिसूचित किए जाने वाले प्राधिकृत प्रचालनों की सूची पर राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा।

3. मैसर्स ए.पी. टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में प्राधिकृत प्रचालन

प्राधिकृत कार्यकलापों के अनुमोदन के लिए मैसर्स ए.पी. टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध, जिसे तात्कालिकता के कारण मिसिल पर अनुमोदन प्रदान किया था, को अनुसमर्थन हेतु अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने मिसिल पर दिए गए अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।

4. मैसर्स मोजर बियर इंडिया लिमिटेड द्वारा गैर परंपरागत उर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में प्राधिकृत प्रचालन बोर्ड

प्राधिकृत कार्यकलापों के अनुमोदन के लिए मैसर्स मोजर बियर इंडिया लिमिटेड के अनुरोध, जिसे तात्कालिकता के कारण मिसिल पर अनुमोदन प्रदान किया था, को अनुसमर्थन हेतु अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने मिसिल पर दिए गए अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।

5. परिधान पार्क, एसईजेड, चरण-II के लिए जलापूर्ति संबंधी कार्यकलाप के अनुमोदन हेतु एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) का अनुरोध

बोर्ड ने एसईजेड, चरण-II से लगभग 6.5 किमी दूर अवस्थित संजय जलाशय से औद्योगिक इकाईयों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल उपचार संयंत्र, मुख्य शुद्ध जल ग्रेविटी, शुद्ध जल संप तथा अशुद्ध जल मुख्य पाईप लाइन के भाग जैसी अवसंरचना तथा एसईजेड के दायरे से बाहर पंप हाऊस, अशुद्ध जल मुख्य पाईप लाइन, वाल्वस, स्पेशल पैनल्स आदि जैसी अवसंरचना का सृजन करने हेतु एमपीएकेवीएन, इंदौर एसईजेड के डेवलपर के अनुरोध पर विचार किया। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया कि शुल्क मुक्त वस्तुओं के लिए अनुमतियां केवल एसईजेड के भीतर प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं के लिए और न कि एसईजेड के बाहर किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए दी जा सकती हैं। कुछ सदस्यों द्वारा यह तर्क दिया गया कि जल को किसी स्रोत से लाना होगा और इसलिए स्रोत तक समर्पित पाइपलाइन के लिए प्रयोग की जाने वाली पाइपलाइन तथा अन्य उपस्कर प्रदान किए जाने चाहिए। बोर्ड ने इस शर्त पर मिसिल पर प्रदान किए गए अनुमोदन का अनुसमर्थन किया कि जलापूर्ति स्कीम केवल एसईजेड के लिए समर्पित है तथा इसलिए प्रदान की जाने वाली छूट एसईजेड के भीतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अधिप्राप्त/आयातित वस्तुओं तक सीमित होगी।

6. भू-क्षेत्र को 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने हेतु मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध

बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड को प्रदान किए गए सै द्धांतिक अनुमोदन के लिए भू-क्षेत्र को 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने हेतु मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा मिसिल पर प्रदान किए गए अनुमोदन का यह उल्लेख करते हुए अनुसमर्थन किया कि भू-क्षेत्र के संबंध में पूर्ववर्ती सैद्धांतिक अनुमोदन में संशोधन किया जाता है तथा अन्य निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(IV) प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

निम्नलिखित डेवलपरों द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों, जिन्हें अनुपूरक कार्यसूची के अनुलग्नक-7 से 19 में सूचीबद्ध किया गया था, को अधिसूचित किए जाने वाले प्राधिकृत प्रचालनों की सूची पर राजस्व विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने तक आस्थगित कर दिया गया:

1. गांव मटोडा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ए, तालुका सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में क्षेत्र विशिष्ट औषधीय एसईजेड के संबंध में मैसर्स जाइड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

28 सितंबर, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट (अनुपूरक कार्यवृत्त)

2. क्रुस्नूर, जिला - नांदेड़, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट औषधीय एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

3. यवतमाल, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र में वस्त्र संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

4. कागल, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र में वस्त्र संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

5. चिंचोली, जिला - शोलापुर, महाराष्ट्र में वस्त्र संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

6. बुतिबोरी, जिला - नागपुर में वस्त्र संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

7. लातूर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र में कृषि उत्पाद संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

8. सेन्द्रे औद्योगिक क्षेत्र, जिला - औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एल्यूमीनियम तथा एल्यूमीनियम संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

9. कांचीपुर जिला, चेन्नै में आईटी/आईटीईएस संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड

10. हाई-टेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड

11. कुतुबुल्लापुर मंडल, बहादुरपल्ली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड

12. थोटलाकोण्डा हिल्स, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी/आईटीईएस संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड

13. हदपसर, पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संबंधी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपर ऐंड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

28 सितंबर, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट (अनुपूरक कार्यवृत्त)

मद सं. 2: अनुपूरक कार्यसूची में सूचीबद्ध छह प्रस्तावों के संबंध में प्रदान किए गए अनुमोदनों तथा आस्थगन संबंधी निर्णयों को पहले से जारी किए गए बैठक के मुख्य कार्यवृत्त में विधिवत रूप से प्रतिबिंबित किया गया है।

मद सं. 3: औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औषधीय एसईजेड के लिए एमआईडीसी को दिए गए अनुमोदन को मैसर्स वॉकहॉर्ड इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध।

सेन्द्रे औद्योगिक क्षेत्र, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अवस्थित औषधीय क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स एमआईडीसी को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को मैसर्स वॉकहॉर्ड इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट लिमिटेड हस्तांतरित करने हेतु मैसर्स एमआईडीसी के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि मैसर्स वॉकहॉर्ड इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट लिमिटेड फॉर्म - ए में आवेदन कर सकता है जिसके पश्चात उस पर समुचित तरीके से विचार किया जाएगा।

मद सं. 4: सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन परिवर्तित करने के लिए मैसर्स मेराथन रियल्टी लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद सं. 5: बहु सेवा एसईजेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन करते हुए उसे बहु उत्पाद एसईजेड को प्रदान करने हेतु क्लेरिज होटल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध।

बोर्ड ने रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में अवस्थित बहु सेवाओं के लिए क्लेरिज होटल प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड क्षेत्र के संबंध में प्रदान किए गए मौजूदा औपचारिक अनुमोदन का 108 हेक्टेयर से 1600 हेक्टेयर वाले बहु उत्पाद वाले एसईजेड तक विस्तार करने हेतु क्लेरिज होटल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध की जांच की तथा बहु सेवा एसईजेड को बहु उत्पाद एसईजेड के अंतर्गत समाहित करने की अनुमति प्रदान की। तथापि, यह पाया गया कि बहु उत्पाद एसईजेड के लिए समस्त भूमि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। बोर्ड ने प्रस्ताव पर तब तक विचार आस्थगित करने का निर्णय लिया जब तक कि डेवलपर के पास 1000 हेक्टेयर की अपेक्षित न्यूनतम भूमि न हो।

मद सं. 6: अमृतसर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

बोर्ड ने पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की गई इस सूचना को संज्ञान में लिया कि अमृतसर में एसईजेड की स्थापना के लिए पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम द्वारा दिया गया प्रस्ताव,

जो एजेंडा सं. 25 मं सूचीबद्ध किया गया था, पर मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा न कि पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा भारत सरकार ने अभियांत्रिकी, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने हेतु तथा साथ ही अमृतसर में मुक्त व्यापार एवं भंडारण क्षेत्र की स्थापना करने के लिए दिनांक 07 अप्रैल, 2006 के पत्र के तहत मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को पहले ही ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' प्रदान कर दिया है।

मद सं. 7 और मद सं. 8 : इन दो मदों पर लिए गए निर्णयों को अनुमोदन बोर्ड के मुख्य कार्यवृत्त में प्रतिबिंबित किया गया है।

******